

न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1

तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

व्य0वा0क0- 300053ए/2015

संस्थित दिनांक-20.03.2013

फाईलिंग नंबर-234503003912013

- मृतक** 1- श्रीमती सुभियाबाई उम्र 60 वर्ष पति स्व. श्री लिखनसिंह (विलोपित)
2- लाभसिंह उम्र 35 वर्ष पिता स्व. श्री लिखनसिंह
3- अकलसिंह उम्र 35 वर्ष पिता स्व. श्री लिखनसिंह
तीनों जाति गोंड, निवासी-ग्राम सिंघबाघ, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.।
4- श्रीमती सुमित्राबाई उम्र 37 वर्ष, पति शंकर धुर्वे, जाति गोंड,
साकिन गुदमा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.।
5- श्रीमती कृष्णाबाई उम्र 32 वर्ष पति नन्दलाल धुर्वे, जाति गोंड,
साकिन भीमा (गुदमा) तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.।
6- गौरीबाई उम्र 29 वर्ष पति दीपसिंह धुर्वे, जाति गोंड,
साकिन अमवाही, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट.....**वादीगण।**

- / / **विरुद्ध** / / -

- 1- श्रीमती कलाबतीबाई उम्र 50 वर्ष पति रामप्रसाद, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.।
2- मध्यप्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर महोदय, बालाघाट।.....**प्रतिवादीगण।**

- / / **निर्णय** / / -

(आज दिनांक-04/05/2017 को घोषित)

1. वादीगण ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध विक्रयपत्र दिनांक-04.02.1997 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।
2. वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण क्रमांक-2 लगायत 6 आपस में भाई-बहन है तथा वादी क्रमांक-1 के पुत्र व पुत्रियां हैं। प्रतिवादी क्रमांक-1 वादीगण की भूमि की क्रेता है एवं वादी क्रमांक-1 के पति एवं वादी क्रमांक-2 लगायत 6 के पिता लिखन के नाम पर मौजा बैहर प.ह.नं-17/1 रा.नि.मं. तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित थी। भूमि खसरा नंबर-325/2-छ रकबा 2.00/0.809 हेक्टेयर भूमि विवादित भूमि है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि थी, जो पूर्व में वादी क्रमांक-1 के पति के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज थी, जिसमें लिखनसिंह का उसके जीवनकाल में कब्जा था और उसकी मृत्यु के पश्चात् वादी क्रमांक-1 लगायत 3 का शांतिपूर्वक कब्जा है, किन्तु उक्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक-1 ने फर्जी तौर पर वादीगण के पिता से विक्रयपत्र दिनांक-04.02.1997 अपने पक्ष में करवा लिया था। लिखनसिंह पढ़ा-लिखा व्यक्ति था और हस्ताक्षर करना जानता था, परंतु विक्रयपत्र में लिखनसिंह के अंगूठा निशानी है। वादीगण को कानून की जानकारी नहीं होने के कारण वादीगण उनके पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों का अवलोकन नहीं कर पाए थे। वादीगण को जानकारी हुई कि फौती दाखिला करना आवश्यक

होता है, तब उन्होंने संबंधित हल्का पटवारी से संपर्क किया था तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता की भूमि विक्रय हो चुकी है और राजस्व प्रलेखों में प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम पर दर्ज है, तब वादीगण ने फर्जी निष्पादित कराए गए विक्रयपत्र की नकल उप-पंजीयक कार्यालय बैहर में विधिवत् आवेदन देकर प्राप्त की, तब दिनांक-06.10.2012 को वादीगण को जानकारी प्राप्त हुई थी कि प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने पक्ष में विवादित भूमि का दिनांक-04.02.1997 को विक्रयपत्र निष्पादित करवा लिया है। लिखनसिंह के वादीगण वारसान है, जो फर्जी विक्रयपत्र को प्रभावशून्य घोषित करने के अधिकारी हैं। वादीगण ने उनके पक्ष में दिनांक-04.02.1997 का विक्रयपत्र उन पर बंधनकारी नहीं होने से उक्त विक्रयपत्र को प्रभावशून्य घोषित किये जाने के डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 दिनांक-15.12.2016 को तथा प्रतिवादी क्रमांक-2 दिनांक-03.09.2015 को एकपक्षीय हो गए हैं, इस कारण प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाब नहीं दिया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारण प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1-क्या भूमि सर्वे क्रमांक-325/2-छ रकबा 2.00/0.809 हेक्टेयर मौजा बैहर, प.ह.नंबर-17/1 तहसील बैहर जिला बालाघाट की भूमि का दिनांक-04.02.1997 का विक्रयपत्र वादीगण पर बंधनकारी नहीं होने से वह उसे शून्य घोषित कराने के अधिकारी हैं।

विवेचना एवं निष्कर्ष:-

5. वादी गौरीबाई वा.सा.1 ने स्वयं के शपथपत्र की मुख्यपरीक्षणीय साक्ष्य में अभिकथित किया है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-325/2-छ रकबा 2.00/0.809 हेक्टेयर मौजा बैहर, प.ह.नंबर-17/1 तहसील बैहर जिला बालाघाट की साक्षी के पिता स्व. लिखन के नाम से स्थित थी। उक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है, जो पूर्व में वादी के पिता लिखन के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर साक्षी अकलसिंह, लाभसिंह का कब्जा है। उक्त भूमि का प्रतिवादी क्रमांक-1 कलावती द्वारा फर्जी तरीके से साक्षी के पिता लिखन से दिनांक-04.02.1997 को स्वयं के पक्ष में विक्रयपत्र पंजीयन करवा लिया है। साक्षी के पिता लिखन पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, वे हस्ताक्षर करना जानते थे, किन्तु विक्रय के समय लिखन का अंगूठा अंकित किया गया था। साक्षी को कानून की जानकारी न होने के कारण उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् उनके नाम की भूमि के राजस्व अभिलेखों का अवलोकन नहीं कर पाई थी। उक्त साक्षी ने जब फौती दाखिला कराना चाहा था, तब साक्षी को इस बात की जानकारी हुई तो साक्षी ने हल्का पटवारी के पास जाकर संपत्ति का पता किया तो साक्षी को पता चला कि उसके पिता लिखनसिंह के नाम से फर्जी विक्रयपत्र प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा निष्पादित कराया गया है। साक्षी द्वारा उप-पंजीयक कार्यालय बैहर से विक्रयपत्र की नकल लेने पर साक्षी को दिनांक-06.10.2012 को जानकारी प्राप्त हुई कि उसके पिता लिखनसिंह के नाम से दिनांक-04.02.1997 को वादग्रस्त भूमि का 13,000/-रुपये में बिक्री करने का फर्जी विक्रयपत्र का पंजीयन प्रतिवादी क्रमांक-1 कलावती द्वारा

उसके पक्ष में कराया था। वादीगण लिखनसिंह के वारसान हैं। साक्षी ने दिनांक-04.02.1997 के विक्रयपत्र को शून्य कराने का निवेदन किया है। उक्त साक्षी की साक्ष्य का समर्थन कृष्णाबाई वा.सा.2, सुमित्राबाई वा.सा.3, अकलसिंह वा.सा.4 एवं लाभसिंह वा.सा.5 ने उनके शपथपत्र की मुख्यपरीक्षणीय साक्ष्य में किया है। कृष्णाबाई वा.सा.2 ने दस्तावेजी साक्ष्य में दिनांक-04.02.1997 विक्रयपत्र की प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1, लिखनसिंह के हस्ताक्षर युक्त प्रदर्श पी-2 का शपथपत्र, लिखनसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-3, वादग्रस्त भूमि के खसरा पांचसाला की वर्ष 2006-07 की प्रति प्रदर्श पी-4 प्रस्तुत की है। उक्त खसरा पांचसाला में विवादित भूमि की संशोधित प्रविष्टि विक्रयपत्र के आधार पर लिखनसिंह के नाम से प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम पर हुई है।

6. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रदर्श पी-1 के विक्रयपत्र पर लिखन का अंगूठा लगा है। उक्त विक्रयपत्र के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवादित भूमि क्रय की है। प्रदर्श पी-2 के शपथपत्र में लिखन के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-1 के विक्रयपत्र के साक्षी सोहबतसिंह एवं धरमसिंह हैं। वादीगण ने उक्त साक्षीगण को प्रकरण में साक्ष्य के लिए उपस्थित कर यह स्पष्ट नहीं कराया है कि प्रदर्श पी-1 का विक्रयपत्र लिखन ने उसके जीवनकाल में प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में संपादित कराया था या नहीं। वादीगण की ओर से उक्त विक्रयपत्र के संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय बैहर से प्रकरण में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर उक्त विक्रयपत्र को प्रमाणित नहीं कराया है। यदि कोई दस्तावेज जिसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और उस दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो यह माना जाएगा कि उस दस्तावेज की जानकारी की सूचना प्रत्येक व्यक्ति को है। प्रदर्श पी-1 का विक्रयपत्र दिनांक-04.02.1997 को रजिस्टर्ड हुआ है, इसके उपरान्त दिनांक-01.02.13 को वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण ने प्रदर्श पी-1 के विक्रयपत्र के साक्षीगण को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रदर्श पी-1 के विक्रयपत्र के साक्षी ही यह बता सकते थे कि उक्त विक्रयपत्र के संपादित होते समय लिखन ने विक्रयपत्र पर अंगूठा लगाया था या नहीं। इस कारण वादीगण की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि दिनांक-04.02.1997 का विक्रयपत्र शून्य है एवं वादीगण पर बंधनकारक नहीं है। प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादीगण उनका वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

1. वादीगण अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
2. अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

द्वि0व्य0न्याया0 वर्ग-1, बैहर
तहसील बैहर जिला बालाघाट

(दिलीप सिंह)

द्वि0व्य0न्याया0 वर्ग-1, बैहर
तहसील बैहर जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)